राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयए, बीकानेर
बनाम
मीठा लाल कोठारी और अन्य
24 अगस्त 1999
[सुजाता वी. मनोहर और ए.पी. मिश्रा जेजे.]

सेवा कानून

वेतन-निर्धारण- सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है- ऐसे कर्मचारियों का मूल वेतन संरक्षित किया गया है- इसके बाद सरकारी और विश्वविद्यालय दोनों के वेतनमान संशोधित किए गये- वेतनमान में संशोधन के मानदंड अलग-अलग होंगे-विश्वविद्यालय द्वारा दोनों वेतनमान के तहत मूल वेतन की गणना करके दोनों वेतनमान में समानता लाने का आदेष पारित किया है-ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती दी गई -माना गया, विश्वविद्यालय का आदेश वैध है और इसका एकमात्र उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के दोहरे लाभ को बाहर करना है।

राजस्थान सरकार ने दिनांक 27.12.1975 को एक आदेश जारी किया जिसके तहत कृषि निदेशालय के अनुसंधान विंग के कर्मचारियों को उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गयाए जिसका उत्तराधिकारी अपीलकर्ता हैए विश्वविद्यालय में अंतिम अवशोषण तक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहना था। लेकिन कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाना था। स्थानांतरित कर्मचारियों के अधिकार उक्त आदेश द्वारा शासित होते थे। उक्त आदेश द्वारा सरकारी वेतनमान के तहत आहरित मूल वेतन को विश्वविद्यालय वेतनमान के तहत संरक्षित किया गया था। उत्तरदाताओं को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने अपना वेतन और सरकार के अधीन वेतनमान बनाए रखने का विकल्प चुना।

सरकारी सेवकों के वेतनमान को 1.9.1976 से संशोधित किया गया था जब राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नया वेतनमान नियम 1976 लागू हुआ था जिसके तहत 1.9.1976 को स्वीकार्य महंगाई भत्ते आदि को विलय कर दिया गया था और इस वेतनमान को संशोधित नए वेतनमान में वेतन के निर्धारण के भाग के रूप में माना । उत्तरदाताओं का वेतन तदनुसार संशोधित किया गया था। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में वेतनमान भी 1.9.1976 से संशोधित किया गया था जब नया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान लागू हुआ थाए जिसके तहत 31.12.1972 को निर्धारित मूल वेतन में महंगाई भत्ता आदि शामिल था। उत्तरदाताओं को 1.4.1977 से विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा एक ज्ञापन दिनांक 21.02.1979 राजस्थान में स्थापित कॉलेज/विश्वविद्यालयों में शिक्षको के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में जारी किया। जिसके अनुसार वेतनमान की गणना में उन सभी सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बाहर रखा जायेगाए जिन्होंने दिनांक 01.01.1973 से दिनांक 01.09.1976 के बीच में महंगाई भत्ता प्राप्त किया। यह इस कारण किया जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन संषोधित यू0जी0सी0 के वेतनमान के अनुसार निष्चित हो जाये। सरकारी ज्ञापन के अनुसार विष्वविद्यालय ने दिनांक 28.07.1980 को आदेष पारित किया जो दिनांक 01.09.1976 से लागू किया गया।

उत्तरदाताओं ने विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 28.7.1980 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि उनका नया यूजीसी वेतनमान समेकित मूल वेतन के आधार पर तय किया जाना चाहिए जो उन्हें सरकार के संशोधित नए वेतनमान के तहत मिल रहा था। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफए उत्तरदाताओं ने अपील की जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अनुमति दे दी। डिवीजन बेंच ने माना कि उत्तरदाता नए सरकारी वेतनमान के

तहत अपने वेतन की सुरक्षा के हकदार थे महंगाई भत्ते का भाग जो 01.09.1976 तक मूल वेतन में विलय हो गया हैए में कटौती नहीं की जानी चाहिएए और नए यूजीसी वेतनमान में निर्धारित सरकारी वेतनमान के तहत आहरित वेतन पर होना चाहिए। फैसले से व्यथित डिविजन बेंच के समक्षए अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए।

मानाः 1. जिस समय आदेश दिनांक 27.12.1975 जारी किया गया थाए उस समय न तो संशोधित सरकारी वेतनमान और न ही नया यूजीसी वेतनमान लागू हुआ था। सरकारी वेतनमान के तहत लिया जाने वाला मूल वेतन आदेश दिनांक 27.12.1975 द्वारा विश्वविद्यालय वेतनमान के अंतर्गत संरक्षित किया जाना था। वर्तमान मामले में समस्या 1.9.1976 से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतनमान में महंगाई भत्ते के विलय के कारण उत्पन्न हुई है। नए यूजीसी वेतनमान में 1.3.1973 तक केवल महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिला दिया गया था। इस प्रकार 1973 और 1976 के बीच एक अवधि थी जब यूजीसी वेतनमान के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय था और उसके बाद भी इसका भुगतान जारी रहाय जबकि संशोधित सरकारी वेतनमान के तहत 1.9.1976 को महंगाई भत्ते का विलय कर दिया गया थाए और उसके बाद ही अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय था।

[683.डी.एफय 683.एचय 684.एए,]

1-2 यदि उत्तरदाताओं का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो उत्तरदाता को न केवल उनके मूल मूल वेतन के आधार पर बल्कि 1.1.1973 से 1.9.1976 की अवधि के दौरान मूल वेतन में महंगाई भत्ते को शामिल करके यूजीसी स्केल में उनके मूल वेतन को शामिल करने का लाभ मिलेगा और उन्हें 1.1.1973 से 1.9.1976 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। इसलिएए सरकार के साथ.साथ विश्वविद्यालय द्वारा भी यह माना गया कि राज्य सरकार के संशोधित वेतनमान और नए यूजीसी वेतनमान के बीच समानता रखने के लिएए 1.1.1973 और 1.9.1976 की अवधि के दौरान महंगाई भत्ते को काल्पनिक रूप से बाहर करना आवश्यक हैए जिसें सरकार के द्वारा संशोधित वेतनमान में विलय कर दिया गया थाए लेकिन संशोधित यूजीसी वेतनमान निर्धारित होने पर इसका विलय नहीं किया गया था। इसलिएए दोनों वेतनमान में समानता तभी आ सकती है जब दोनों वेतनमानों के तहत मूल वेतन की गणना एक समान आधार पर की जाए। इसीलिए सरकार और विश्वविद्यालय के आदेशों को मूल वेतन की गणना से बाहर रखा गया है। दिनांक 1-1-1973 और 1-9-1976 के बीच सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए महंगाई भत्ते का पता लगाने के लिए मूल वेतन की अनुमानित गणना की जाएगी जिसे यूजीसी के संशोधित वेतनमान में तदनुरूपी समतुल्यता का पता लग सके। विष्वविद्यालय के आदेष दिनांक 28ण्07ण्1980 का मुख्य उददेष्य सरकारी कर्मचारी एजिन्हें यू0जी0सी0 के नये वेतनमान में स्थापित किया गया थाए द्वारा लिये गये मंहगाई भत्ते के दोहरे लाभ को बाहर रखना है। उत्तरदाताओं को यू0जी0सी0 के वेतनमान में स्थापित होने के परिणामस्वरूप लाभ हुआ है इसलिये विष्वविद्यालय के आदेश दिनांक 28-07-1980 को निरस्त करने का कोई कारण नहीं है।[684-A-E]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 1998 की सिविल अपील संख्या 3329 आदि।

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 27-3-97 से सी.एस.ए. में 1991 की संख्या 376

अपीलकर्ता की ओर से सुशील कुमार जैन और ए.पी. धमीजा।

उत्तरदाताओं की ओर से एल. एन. राव, ब्रज के. मिश्रा, एजाज मकबूल, सुधीर रंजन एवं सुश्री संध्या गोस्वामी

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गयाः

श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, जे. 27 दिसंबर 1975 से पहले इन सभी अपीलों में उत्तरदाता राजस्थान सरकार के कृषि निदेशालय में कार्यरत थे। दिनांक 27-12-1975 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि निदेशालय की सभी अनुसंधान गतिविधियों को उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया 1 जनवरी 1976 के प्रभाव से। ।जहां तक उत्तरदाताओं का सवाल है, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय उत्तराधिकारी है। सुविधा के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए इस निर्णय में विश्वविद्वालय शब्दका प्रयोग किया जायेगा जो उदयपुर विश्वविद्यालय या अपीलार्थी विश्वविद्यालय को भी प्रासंगिक अवधि पर संबोधित करेगा।

दिनांक 27.12.1975 के आदेश के खंड 6 में कहा गया है कि कृषि निदेशालय के अनुसंधान विंग में कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवा उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की जाएगी। खंड 6(1) के उप.खंड (i)के तहत सभी स्थायी सरकारी सेवक और अस्थायी सरकारी सेवक जो नियमित रूप से भर्ती किए गए थे और कृषि विभाग के कृषि अनुसंधान अनुभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किए गए थे उन्हें विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय में अंतिम अवशोषण तक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहना था लेकिन कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाना था। यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्य कृषि निदेशालय में अनुसंधान में लगे कर्मियों के पास विश्वविद्यालय में शामिल होने का विकल्प होगा या वैकल्पिक रूप से उन्हें हटा दिया जाएगा।

खंड (6) के उप.खंड (3) में विश्वविद्यालय द्वारा वेतन और वेतनमान की सुरक्षा प्रदान की गई है जबकि खंड (6) के उप.खंड (4) में विश्वविद्यालय में सरकार बनाम पदों के समीकरण की विधि निर्धारित की गई है। प्रारंभिक एकीकरण के प्रयोजन के लिए ये दो उपखण्ड इस प्रकार हैं.

खण्ड (6)

”(3) विश्वविद्यालय द्वारा वेतन और वेतनमान की सुरक्षा:

मूल या स्थानापन्न वेतन और वेतनमान जिसमें ऐसा वेतन सेवाओं के हस्तांतरण की तारीख से ठीक पहले लिया जाता है, संरक्षित किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी नीचे उप.पैरा (4) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में समान वेतनमान का विकल्प चुन सके।

(4) सरकार बनाम पदों के तहत विश्वविद्यालय में प्रारंभिक एककीरण के उद्देश्य से पदों का समीकरण

(i) विश्वविद्यालय के कैडर में सरकारी कर्मचारियों के एकीकरण को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार बनाम पदों के तहत विश्वविद्यालय पद इस प्रकार होंगे। मौजूदा वेतनमान के साथ विश्वविद्यालय के अंतर्गत पद सरकार के अधीन पद

क्र0	मौजूदा वेतनमान के साथ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पद।	सरकार के अधीन पद
1	प्रोफेसर (रू.1100-50-1300-60-1600)	संयुक्त निदेशक (रू.1300-60-1600)
2	रीडर (रू.700-60-1250)	(700-40-1100- 50-1200) रुपये के
3	एसोसिएट रीडर (550-40-750-50-1100)	कोई समकक्ष पद नहीं
4	सहायक प्रोफेसर (400-40-800- 50-950)	वेतनमान 375-25-450-30-650 में पोस्ट (साधारण समयमान)
5	अनुसंधान सहायक और लैक्चरर(300-25-600)	250-20-25-625 के वेतनमान में पोस्ट (साधारण समयमान)

(ii) विश्वविद्यालय में एकीकरण पर सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन यदि विश्वविद्यालय के वेतनमान में ऐसा कोई स्तर मौजूद है तो वेतनमान समान स्तर पर तय किया जाएगा और यदि ऐसा कोई स्तर मौजूद नहीं है तो विश्वविद्यालय के वेतनमान में अगले उच्च स्तर पर निर्धारण किया जाएगा।

.....

5. विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा जो संशोधित वेतनमान से जुड़ी योग्यता की शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

इन अपीलों के उत्तरदाता 250-20-25-625रू0 के वेतनमान पर सरकार के अधीन पदों पर रहने वाले व्यक्तियों की पांचवीं श्रेणी में आते हैं जिसे मौजूदा वेतनमान के साथ विश्वविद्यालय के अनुसंधान सहायक और लेक्चररों के पदों वर्तमान वेतनमान 300-25-600 के बराबर किया। खंड 6(3) के तहत मूल या स्थानापन्न वेतन और वेतनमान जिसमें स्थानांतरण की तारीख से ठीक पहले लिया गया वेतन सुरक्षित है। हालाँकि, सरकारी कर्मचारी को विश्वविद्यालय में समान वेतनमान चुनने का विकल्प दिया गया है जैसा कि ऊपर दिए गए खंड 6(3) और 6(4) में निर्दिष्ट है। इन अपीलों में उत्तरदाताओं ने अपने वेतन और वेतनमान को सरकार के अधीन बनाए रखने का विकल्प चुना।

तदनुसार उत्तरदाताओं को 27.12.1975 के आदेश के तहत विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उन्हें 1.4.1977 से विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया। हालाँकि, इस बीच 1.9.1976 से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित नया वेतनमान) नियम, 1976 लागू हो गया। इन नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। चूंकि उत्तरदाता सरकार के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उनके वेतन को भी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित नया वेतनमान) नियमए 1976 के तहत संशोधित किया गया था। इन नियमों के तहत महगाँई भत्तें, महगाँई वेतन, तदर्थ की पूरी राशि 1.9.1976 को स्वीकार्य राहत, और अतिरिक्त महंगाई भत्तें को संशोधित नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से मूल वेतन के हिस्से के रूप में विलय कर दिया गया था। उत्तरदाताओं को तदनुसार उनका संशोधित वेतन प्राप्त हो रहा था। हालाँकि 1.4.1977 के प्रभाव से विश्वविद्यालय में उनके अवशोषण पर उन्हें विश्वविदालय वेतनमान में नियत किया जाना आवश्यक था। विश्वविद्यालय का वेतनमान भी 1.9.1976 से संशोधित किया गया था जब नया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान लागू हुआ था। हालाँकि नए यूजीसी वेतनमान के तहत जो मूल वेतन तय किया गया था उसमें 31.12.1972 को जो महँगाई भत्ता था वह शामिल था। महंगाई भत्ता और ऐसे कई अन्य भत्ते 1.1.1973 से यूजीसी वेतनमान में 1.1.1973 को नए निर्धारित मूल वेतन पर दिए गए थे।

नए सरकारी वेतनमान और नए यूजीसी वेतनमान के तहत मूल वेतन तय करने के तरीके में अंतर को देखते हुए राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने वेतन निर्धारण के संबंध में दिनांक 21.2.1979 को एक ज्ञापन जारी किया। नए यूजीसी वेतनमान में राजस्थान में स्थित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में

नियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए सरकारी वेतनमान में किसी व्यक्ति को नए यूजीसी वेतनमान में स्थापित किया गया है तो महंगाई भत्ते का दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा। आदेश 21.02.1979 में यह निर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1.1.1973 और 1.9.1976 के बीच दी गयी महँगाई भत्तों की नौ किस्तों के बराबर अतिरिक्त महँगाई भत्ते के अंश को संशोधित वेतनमान में विलय कर दिया गया और उक्त महँगाई भत्ते की कटौती सरकारी कर्मचारी के उस वेतन से की जानी चाहिए जिसको प्राप्त वह उस दिनांक को कर रहा था जब वह यू.जी.सी के वेतनमान के तहत शिक्षक नियुक्त हुआ। उपरोक्त अतिरिक्त महँगाई भत्ते की राशिको छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त वेतन को वेतन के रूप में माना जायेगा जिसके संदर्भ में उसका वेतन यू.जी.सी. वेतनमान में तय किया जाना चाहिए। और यदि यू.जी.सी वेतनमान में कोई समान स्तर नहीं था, तो उसका वेतन उसके वेतन से अगले स्तर पर तय किया जाना चाहिए। यूजीसी वेतनमान में निर्धारित वेतन के अलावा, वह राजस्थान के विश्वविद्यालयों में यूजीसी वेतनमान के साथ स्वीकार्य महंगाई भत्ते के भी हकदार होंगे।

कृषि विभाग से विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किये गये कुछ व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके राजस्थान सरकार के दिनांक 21.2.1979 के ज्ञापन को चुनौती दी। हालाँकि उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि विश्वविद्यालय ने सरकारी ज्ञापन 21.02.1979 की शर्तों को अपनाया है इस कारण रिट याचिका समय पूर्व है।

28/29 जून,1980 के कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 28 जुलाई 1980 को जारी एक आदेश द्वाराए कुलपति ने यह आदेश देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि स्थानांतरित अनुसंधान कर्मचारियों का वेतनए जो विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से समाहित हो गए थे और जो 1976 की सरकार के संशोधित नए वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1.1.1973 और 1.9.1976 के बीच दी गई महंगाई भत्ते की नौ किस्तों के बराबर अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भाग की कटौती के बाद 1976 के संशोधित यूजीसी वेतनमान में तय किया जाएगा। 1976 और संशोधित नए वेतनमान 1976 में मूल वेतन से विलय कर दिया गया जो एक कर्मचारी विश्वविद्यालय में अपने अवशोषण की तिथि पर प्राप्त कर रहा था। आदेश में आगे यह उल्लेखित किया गया है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त वेतन को वेतन के रूप में माना जाएगा, जिसके संदर्भ में कर्मचारी का वेतन 1976 के संशोधित यूजीसी स्केल में तय किया जाएगा। यूजीसी वेतनमान के अनुसार, कर्मचारी नये यूजीसी वेतनमान के साथ स्वीकार्य महँगाई भत्ते के हकदार होंगे। यह आदेश 1.9.1976 से प्रभाव में लाया गया। यह समझने के लिए कि 28.7.1980 के विश्वविद्यालय आदेश के तहत वेतन का निर्धारण कैसे किया गया था, इस संबंध में 1998 सिविल अपील संख्या 3332 में उत्तरदाताओं के वेतन निर्धारण की तुलनात्मक स्थिति निर्धारित की गई है।

सरकार द्वारा निर्धारित नये वेतनमान 750-1350 में वेतन का निर्धारण	विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 28/30.7.1980 के द्वारा संशोधित यूजीसी के वेतनमान 700-40-1100-50-1600 में वेतन का निर्धारण	उत्तरदाताओं द्वारा युजीसी के सशोधित वेतनमान 700-1600 में वेतन का निर्धारण
वेतन 990	820	1020
डी.ए.40	(अतिरिक्त डी.ए.) (बहिस्कृत) डी.ए. --- ए.डी.ए. रू 301	डी.ए डी.ए--- ए.डी.ए रू. 303
ए.डी.ए.0		
कुल 1030.00	1121.00	1323.00

उत्तरदाता ने विश्वविद्यालय के दिनांक 28.7.1980 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उत्तरदाता ने अन्य याचना के साथ-साथ 28.7.1980 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने आगे सरकार के संशोधित नए वेतनमान के तहत मिलने वाले समेकित मूल वेतन के आधार पर नए यूजीसी वेतनमान में अपने निर्धारण के लिए प्रार्थना की।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि अपील में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर ली और माना कि उत्तरदाता नए सरकारी वेतनमान के तहत मिलने वाले अपने वेतन की सुरक्षा के हकदार हैं। भले ही यह एक समेकित वेतन है, महंगाई भत्ते का भाग जो 1.9.1976 तक मूल वेतन में विलय कर दिया गया है, में कटौती नहीं की जानी चाहिए और नए यूजीसी वेतनमान में निर्धारण सरकार के नवीन वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर होना चाहिए। न्यायालय ने अतिरिक्त राशि पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है जिसके उत्तरदाता हकदार हो सकते हैं।

जिस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या नई यूजीसी स्केल में उत्तरदाताओं का निर्धारण ठीक से किया गया है और क्या विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 28.07.1980 जो कि 21.02.1979 के सरकारी ज्ञापन के अनुसार है, इसके लिए सही आधार प्रदान करता है। सरकारी वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के वेतनमान में उपयुक्त करने का तरीका दिनांक 27.12.1975 के प्रारंभिक आदेश में निर्धारित किया गया था, जिसके तहत कृषि निदेशालय के अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया। अतः स्थानांतरित कर्मचारियों के अधिकार आदेश दिनांक 27.12.1975 के द्वारा शासित होते हैं। इस आदेश की तिथि तक न तो संशोधित सरकारी वेतनमान और न ही नया यूजीसी वेतनमान लागू हुआ था। 27.12.1975 के आदेश के खंड 6(4) में स्पष्ट रूप से उस तरीके का प्रावधान किया गया है जिसमें सरकार के तहत और विश्वविद्यालय के तहत वेतनमान को बराबर किया जाना था। विश्वविद्यालय वेतनमान में सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन एक समान स्तर पर तय किया जाना था, यदि ऐसा स्तर विश्वविद्यालय वेतनमान के तहत उपलब्ध था या यदि समान स्तर उपलब्ध नहीं था, तो अगले उच्च स्तर पर तय किया जाना था। आदेश में उप-खंड 6(4)(v) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन की स्थिति में स्थानांतरित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान योग्यता से संबंधित किसी भी शर्त की पूर्ति के अधीन दिया जाएगा। . इसलिए, सरकारी वेतनमान के तहत प्राप्त मूल वेतन को विश्वविद्यालय वेतनमान के तहत संरक्षित किया जाना था। वर्तमान मामले में समस्या 1.9.1976 से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतनमान में महंगाई भत्ते के विलय के कारण उत्पन्न हुई है। यदि संशोधित यूजीसी वेतनमान में 1.9.1976 से मूल वेतन में महंगाई भत्ते के ऐसे विलय का भी प्रावधान होता, तो कोई समस्या नहीं होती। सरकार के साथ-साथ नए यूजीसी वेतनमान के तहत वेतनमान का संशोधन एक ही आधार पर होता और नए वेतनमान में उपयुक्त होने पर वेतन के समीकरण के सामान्य सिद्धांत लागू होते। हालाँकि, नए यूजीसी वेतनमान में 1.3.1973 तक के केवल महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय कर दिया गया था। इस प्रकार 1973 और 1976 के बीच एक अवधि थी जब यूजीसी वेतनमान के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय था और उसके बाद भी इसका भुगतान जारी रहा; जबकि संशोधित सरकारी वेतनमान के तहत 1.9.1976 को महंगाई भत्ते का विलय कर दिया गया था, और उसके बाद ही अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय था। यदि हम उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो उत्तरदाताओं को 01.01.1973 से 01.09.1976 तक की अवधि के दौरान मूल वेतन में महँगाई भत्ते शामिल करने से ना केवल उनके मूल वेतन के आधार पर यूजीसी स्केल में अपना मूल वेतन तय होने का लाभ मिलेगा और उत्तरदाताओं को 1.1.1973 से 1.9.1976 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। इसलिए, सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय ने भी सही माना है कि राज्य सरकार के संशोधित वेतनमान और नए यूजीसी वेतनमान के बीच समानता रखने के

लिए, अवधि के दौरान महंगाई भत्ते को काल्पनिक रूप से बाहर करना आवश्यक है। 1.1.1973 और 1.9.1976 जिन्हें सरकार के संशोधित वेतनमान के तहत मूल वेतन में विलय कर दिया गया था, लेकिन संशोधित यूजीसी वेतनमान निर्धारित होने पर उनका विलय नहीं किया गया था। इसलिए, दोनों वेतनमानों के बीच उचित समानता तभी आ सकती है जब दोनों वेतनमानों के तहत मूल वेतन की गणना एक सामान्य आधार पर की जाए। यही कारण है सरकार के साथ साथ विश्वविद्यालय के आदेशों में मूल वेतन, महँगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारी दिनांक 01.01.1973 से 01.09.1976 प्राप्त कर रहे थे वह मूल वेतन की अनुमानित गणना से बाहर रखा गया जिससे यूजीसी के संशोधित वेतनमान से तदनुरूपी समतुल्यता पता लगायी जा सके। 28 जुलाई, 1980 के विश्वविद्यालय आदेश का पूरा उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के दोहरे लाभ को बाहर करना है, जिन्हें नए यूजीसी वेतनमान में फिट किया जाना है। जैसा कि पहले दी गई सरल गणना से पता चलता है, उत्तरदाताओं को नए यूजीसी वेतनमान में फिट होने के परिणामस्वरूप लाभ हुआ है। इसलिए, हमें विश्वविद्यालय के दिनांक 28.7.1980 के आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता।

इसलिए, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आक्षेपित फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मूल रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि डिविजन बेंच के फैसले के तहत किसी उत्तरदाता को वास्तव में कोई मौद्रिक लाभ दिया गया है, तो उससे इसकी वसूली नहीं की जाएगी।

अपील स्वीकार

Vetted By (Akshaydeep Yadav),(Civil Judge(Senior Div.))